न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 28 / 2025	2023 / 82	11.02.2025	26.03.2025

1– वेदप्रकाश यादव पुत्र हरिसिंह यादव जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कुलताजपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2– सचदेव यादव पुत्र हरिसिंह यादव जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कुलताजपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

3– संदीप कुमार यादव पुत्र हरिसिंह यादव जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कुलताजपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

4– हरिसिंह यादव पुत्र हरदयाल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कुलताजपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा नामान्तकरण संख्या 2392 निर्णय दिनाक 01.12.2024 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री संजय यादव –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 2392 निर्णय दिनाक 01.12.2024 ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 2392 निर्णय दिनाक 01.12.2024 ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज आराजी खसरा न0 769 रकबा 0.7800 है0 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में 1/3 हिस्से की काबिज काश्तकार खातेदार अपीलांन्ट संख्या 1 लगायत तीन की माता व चार की पत्नी इन्द्रादेवी पत्नि हरिसिंह जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कुलताजपुर तहसील किशनगढबास थी, जिसका स्वर्गवास दिनाक 23.09.2024 को हो चुका है। हम अपीलान्टस मृतक इन्द्रादेवी के पुत्र व पति जायज वारिस काबिज जायदाद उत्तराधिकारी है, तथा भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के सदस्य है, तथा उक्त इन्द्रादेवी के देहान्त हो जाने के बाद बहैसियत वारिस काबिज जायदाद उसकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति पर काबिज चले आ रहे है। जिस तथ्य की पुष्टि हम अपीलान्टान द्वारा तहत अदालत के समक्ष पेशकर्दा साक्ष्य से होती है। इस लिए मृतक इन्द्रादेवी की विरसत का नामान्तकरण हम अपीलान्टान के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिये था। लेकिन तहत अदालत के द्वारा बिना

जिला कलेक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

किसी युक्तियुक्त कारण आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानो के विवरित होने के कारण निरस्त किये जानें योग्य है। आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व हम अपीलान्टान को कोई नोटिस जारी नही किया गया न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। पिडित पक्षकार को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 01.12.2024 नामान्तकरण संख्या 2392 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास निरस्त किया किया जाकर मृतक इन्द्रा देवी पत्नि हरिसिंह जाति अहीर (यादव) निवासी कुलताजपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा की विरासत का नामान्तरण हम अपीलान्टान के हक में दर्ज कर निर्णित किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 2392 निर्णय दिनाक 01.12.2024 ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज आराजी खसरा न0 769 रकबा 0.7800 है0 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में 1/3 हिस्से की काबिज काश्तकार खातेदार अपीलांन्ट संख्या 1 लगायत तीन की माता व चार की पत्नी इन्द्रादेवी पत्नि हरिसिंह जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कुलताजपुर तहसील किशनगढबास थी, जिसका स्वर्गवास दिनाक 23.09.2024 को हो चुका है। हम अपीलान्टस मृतक इन्द्रादेवी के पुत्र व पति जायज वारिस काबिज जायदाद उत्तराधिकारी है, तथा भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के सदस्य है, तथा उक्त इन्द्रादेवी के देहान्त हो जाने के बाद बहैसियत वारिस काबिज जायदाद उसकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति पर काबिज चले आ रहे है। जिस तथ्य की पुष्टि अपीलान्टान द्वारा तहत अदालत के समक्ष पेशकर्दा साक्ष्य से होती है। इस लिए मृतक इन्द्रादेवी की विरसत का नामान्तकरण अपीलान्टान के हक में दर्ज व तस्दीक किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2024 नामान्तकरण संख्या 2392 ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वारिसान की पुनः जॉच कर वारिसान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण की अधिकतम दो माह में सुनवाई कर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ वापिस लोटायी जावे, पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)